

फर्द अहकाम

(विधम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम रामलक्ष्मण / राजेंद्र सरकार

किरम मुकदमा 136 मु० नं० 96/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.11.24	<p>प्राथमिक पत्र अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार शर्मा द्वारा पेशा दर्ज कर तलबी की जावे। वास्तु इन्तजार तामील डि० 16.11.24 को पेश हो।</p>	
16.11.24	<p>पत्रावली पेशा अवाक स्टेट प्राप्त नहीं। पत्रावली दि. 18.11.24 को पेश हो।</p>	
18.11.24	<p>पत्रावली पेशा अवाक स्टेट प्राप्त। कलस दावा का अनुसार नही, ग्राम शेरपुरा के खाता सं. 37 की खातेदार हैं। वादी साबिक ख. नं. 171 के स्थान पर भू-पवर्ध विभाग द्वारा कायम किया गये ख. नं. 227 को, भू-पवर्ध कार्यवाही से पूर्व हिस्से अनुसार दुपलत करवाना चाहता है। अवाक स्टेट अनुसार भू-पवर्ध विभाग द्वारा साबिक ख. नं. 171 (रकबा 10 बिघा) के स्थान पर नया ख. नं. 227 (11.11.24) गै. मु. आवधी कायम किया है जो मीक व भू-पवर्ध पूर्व की हिस्से अनुसार नहीं है। अतः तहसीलदार कलसपण्डा को आवेदित किया जाता है कि वादी की खातेदारी मसाला ड्रेस में, साबिक ख. नं. 171 (भू-पवर्ध से पूर्व) अनुसार, दुपलत कीजिया आवे। अवाक स्टेट का निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय अनुसार डि० जारी होकर पत्रावली फिलाल शुमार हो।</p>	

(Signature)

18.11.24

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)